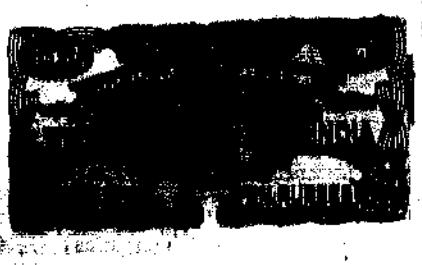

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग 1855-PBR-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–उज्जैन

1– सत्यनारायण पुत्र श्री नारायण खाती
2– कमल पुत्र श्री नारायण खाती
3– राहुल पुत्र श्री नारायण खाती
निवासीगण–ग्राम करंज, तहसील तराना,
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1– ओंकार पुत्र श्री हीराजी बलाई
निवासी – ग्राम करंज, तहसील तराना,
जिला – उज्जैन (म.प्र.)
2– सुरेश पुत्र श्री देवीसिंह खाती
3– मुन्नीबाई पुत्री श्री देवीसिंह खाती
4– दीपक पुत्र श्री कैलाश खाती
5– संदीप पुत्र श्री कैलाश खाती
6– श्रीमती माया पत्नी श्री कैलाश खाती
निवासीगण – 41, डाबरीपीठा,
जिला – उज्जैन (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना, जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र. निग. 1855-RBR/16

जिला- उज्जैन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-6-16 | आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना, जिला उज्जैन के प्र.क्र. 35/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31-03-16 के विरूद्ध पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई है परन्तु वर्तमान में कोई अपर आयुक्त पदस्थ न होने से उनके प्रकरण की सुनवाई नहींहो पा रही है । अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई में विलंब होने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । उनका कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित नहीं किया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी ।<br>2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जा चुकी है, इस कारण इस निगरानी को ग्राहय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के स्थगन का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित मे अपर अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तराना, जिला उज्जैन के प्र.क्र. 35/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31-03-16 का क्रियान्वयन आगामी तीन माह अथवा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित किये जाने ( जो भी पहले हो ) तक स्थगित किया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये ।<br>अध्यक्ष | |